

न्यायालयः— मर्यंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.)

क्रमांक ५९/२४

रतलाम, दिनांक 16.05.2024

रिमांड डियूटी आदेश

इस आदेश द्वारा माह जून-2024 के अवकाश के दिनों में रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी रतलाम/ जावरा/ सैलाना/ आलोट को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों के लिये अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 3:00 बजे से कार्य समाप्ति तक रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य (न्यायिक) सम्पन्न करेंगे:-

रतलामः—

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	श्री डी.पी. सूत्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	2
2	श्रीमती मुरुधा कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	17, 23
3	सुश्री आकाशा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	9, 15
4	सुश्री आकाशा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	16
5	श्री अतुल श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	30

जावराः—

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	श्री अरविंद कुमार बरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	30
2	श्री एन.एस. ताहेंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	23
3	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	16, 17
4	श्रीमती ऋचा हिंदेंदी भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	2
5	श्री दीपक कनेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	15
6	श्री अंकित भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	9

सैलानाः—

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	श्री राहुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	23, 30
2	श्री अमितेंद्र सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	2, 9
3	श्री एकाग्र चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	15, 16, 17

आलोट:-

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	17, 30
2	कुम्हुबाला सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	16, 23
3	श्री गवेन्द्र सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	2, 9
4	श्रीमती समीक्षा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	15

किसी आकस्मिक परिस्थितियों में निम्न आवश्यक नोट अनुसार रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावे:-

- उक्त शासकीय अवकाश के अतिरिक्त किसी अन्य कारणश इस माह कोई अवकाश घोषित होता है तो जिला न्यायालय, रत्नाम में सुश्री सपना कनौडिया व इनकी अनुपस्थिति में श्री डी.पी. सूत्रकार आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील जावरा में श्री अंकित भूजंग व इनकी अनुपस्थिति में श्री दीपक कनेरिया आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील न्यायालय आलोट में श्रीमती समीक्षा सिंह व इनकी अनुपस्थिति में कुम्हुबाला सोलंकी आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील न्यायालय सैलाना में श्री अभिषेक सोनी व इनकी अनुपस्थिति में श्री एकाग्र चतुर्वेदी आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे।
- फिडिका क्र. 1 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की ड्यूटी शासकीय अवकाश के अतिरिक्त किसी अन्य कारणश में कोई अवकाश पड़ता है तो, उसके संबंध में लगाई है, परंतु यदि कोई अतिरिक्त अवकाश पड़ता है और जिन मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गयी है, वह ग्रीष्मकालीन अवकाश पर है तो उक्त ड्यूटी ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय रत्नाम, सैलाना, जावरा एवं आलोट मुख्यालय पर उपस्थित जूनियर मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित की जावेगी।
- रिमाण्ड ड्यूटी नियत होने वाले किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण होने की दशा में उस स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगे। यदि नवीन मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तब नियत रिमाण्ड ड्यूटी मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा संपादित की जायेगी।
- किशोर/वाल अपाधारी के संबंध में रिमाण्ड हेतु आदेश किशोर न्याय बोर्ड, रत्नाम के द्वारा प्रदान दिया जावेगा।
- रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने-अपने कर्तव्य पद पर उपस्थित रहेंगे।
- यदि किसी अपरिहार्य एवं युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दर्शित तिथियों को आवश्यक न्यायालयीन कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ रहे तो वे अपने साधी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उक्त दर्शित तिथि को न्यायालयीन कार्य सम्पादन करने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रत्नाम से पूर्व अनुमति लेने के उपरांत और लिखित सहमति प्राप्त कर संपादित करेंगे। ऐसी स्थिति में लिखित सहमति देने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का दायित्व रहेगा कि वह इस तरह आपसी समायोजन से नियत दिनोंक को न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगे, ऐसे समायोजन अनुसार अवकाश के दिन आकस्मिक रिमाण्ड एवं आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादन करने के लिए अधिकृत माने जावेंगे।
- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के फिडिका क्र. 1 में दर्शित सहमति प्राप्त करने से अन्यथा (जैसे आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य खंडन छोड़ने/मेडिकल या अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने/वारेंटाइन रहने) अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थता दर्शित दिये जाने पर रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु अनुपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके चार्ज भारित न्यायालय को सूचना मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन किया जावेगा।

(मंत्रक मोदी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रत्नाम

पृ क्रमांक-165/24

प्रतिलिपि-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् नजारत प्रभारी, रतलाम/ जावरा/ आलोट/ सैलाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समरत न्यायिक मजिस्ट्रेटगण, रतलाम/ सैलाना/ आलोट/ जावरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ रतलाम/ सैलाना/ आलोट/ जावरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, रतलाम/ सैलाना/ आलोट/ जावरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

रतलाम, दिनांक-16/05/2024


(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम,(म.प्र.)